न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर:— 49/19 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. मांगीलाल पिता रामा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. बालुराम पिता रामा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. शंकरलाल पिता रामा कुमावत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहन पिता कालु भील निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नेनु पिता हजारी गुर्जर निवासी जगपुरा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. आशा पत्नि नरेन्द्रसिह कोठारी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 12.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 120 में अंकित आराजी स. 555 रकबा 1.68 हैक्ट. आराजी स. 559 रकबा 0.49 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 2.77 हैक्ट. स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी नकल मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित प्रार्थीगण की कृषि आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में विपक्षीगण आये दिन दखलअंदाजी करते रहते है। जिससे प्रार्थीगण को अपने आराजियात में फसल काश्त कर, फसल लाभ लेने, मवेशी चराने व घास काटने में काफी कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हो गया है । प्रार्थीगण द्वारा कई बार विपक्षीगण को अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां परन्तु विपक्षीगण आये दिन आज कल में कराने की बात कहे कर हर बार टालमबाजी का जवाब देते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अन्तिम बार दिनांक 28.02.2019 को विपक्षीगण को उनकी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा परन्तु विपक्षीगण इंकार हो गये तथा पक्का निर्माण करने लग गये जिससे प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 28.02.2019 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 26.03.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 से 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रंकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा

न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम जगपुरा पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारो की कृषि आराजियात खाता संख्या 120 में अंकित आराजी स. 555 रकबा 1.68 हैक्ट. आराजी स. 559 रकबा 0.49 हैक्ट. कुल किता 2 कुल रकबा 2.77 हैक्ट. स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 200/— अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1100/— अक्षरे एक हजार एक सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करांवे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा